राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. रुडा पुत्र केशरा 2. राजा पुत्र हेमा 3. सांवलाराम पुत्र बींजाराम जातियान रबारी निवासीगण हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. शंकराराम पुत्र भोपाराम 2. वरजांगा पुत्र केशराम 3. अंतरों पत्नी हेमा 4. कुम्पाराम पुत्र बींजाराम 5. झमू पत्नी भोपा 6. टीकमा पुत्र केशरा 7. पुरखा पुत्र हेमा 8. पीरा पुत्र केशरा 9. शंकराराम पुत्र रामदान 10. सरूदेवी पत्नी बींजाराम जातियान भील निवासीगण भंवार तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 11. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा साता 12. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न.......13....../2026

13/01/26 प्रार्थीगण रुडा पुत्र केशरा जाति रबारी निवासी हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा की ओर से अधिवक्ता **श्री आम्बाराम पूनड़** ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा हाथला पटवार क्षेत्र हाथला भू. अ.नि. क्षेत्र अरटी के खाता संख्या नया 66 खसरा नम्बर 771/133 रकबा 2–8814 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। विप्रार्थी संख्या 01 शंकराराम पुत्र भोपाराम जाति रबारी निवासी हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता श्री मेहराराम सारण ने कैवियट पेश की।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण व कैवियटकर्ता अधिवक्ता की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के **विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा** का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण आगामी पेशी तारीख तक तहसील सेड़वा के मौजा हाथला पटवार क्षेत्र हाथला भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के खाता संख्या नया 66 खसरा नम्बर 771/133 रकबा 2–8814 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करें व न ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी स्वयं करें अथवा अन्य किसी के मार्फत करवाये तथा न ही उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेडवा को जारी हो। वकील प्रार्थीगण इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थीगण वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब आगामी पेशी तारीख 23/01/2026 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा

23/01/26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित। प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। चूंकि मूलवाद को अदम हाजरी। अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है, तो इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस आवेदन को [illegible] इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली [illegible] मूलवाद के संलग्न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.10 21:37:06 IST
Reason: SelfAttested